उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

//ज्ञापन//

क्रमांक C/1021/(चार–12–58/05) जबलपुर, दिनॉक 22/03/2021

प्रति,

1. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
2. समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
3. सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,
4. संचालक, म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर,
5. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खंडपीठ– इंदौर/ग्वालियर,

विषय:– उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में उनके परिवार के सदस्यों के नाम एवं नामिनेशन दर्ज किये जाने के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि, अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के विवरण आई.एफ.एम.आई.एस. में दर्ज किये जाने की कार्यवाही लगातार उनकी स्थापनाओं द्वारा की जा रही है। यह पाया गया है कि उपरोक्त जानकारी कई मामलों में शासन द्वारा जारी नियमों एवं दिशा निर्देशों के विपरीत पायी जाती है। साथ ही यह भी पाया गया है कि उपरोक्त स्थापनाओं द्वारा जो जानकारी भेजी जाती है उसमें अधिकारियों द्वारा भरे गये फैमिली डीटेल्स एवं नामिनेशन के संपूर्ण फार्म इन स्थापनाओं द्वारा रजिस्ट्री को नहीं भेजे जाते हैं जिससे यह जॉच करना काफी कठिन होता है कि संपूर्ण फार्म में जो जानकारी प्रेषित की गई है वो नियमानुसार है कि नहीं।

अतः आदेशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आपकी स्थापना में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों के परिवार का ब्यौरा एवं समस्त नामिनेशन संबंधी जानकारियॉ निम्न दिशा–निर्देशानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें:–

//दिशानिर्देश//

1. अधीनस्थ न्यायालय की स्थापनायें आई.एफ.एम.आई.एस. में भरी गई जानकारी के अनुमोदन के पहले यह सुनिश्चित करें कि जानकारियॉ शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप हों। जैसे कि परिवार का ब्यौरा म.प्र. मूलभूत नियम 9 के पूरक नियम 8 के अनुसार होना चाहिये, इत्यादि।

2. यदि माता–पिता पेंशनर हैं तथा अधिकारी पर आश्रित हो तो, उनकी वार्षिक आय के संबंध में घोषणा–पत्र म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय क्रमांक एफ–9–01/2014/सत्रह/मेडि–3, भोपाल, दिनॉक 28.05.2019 के अंतर्गत संलग्न किया जाना चाहिये।

3. न्यायिक अधिकारियों द्वारा आई.एफ.एम.आई.एस. में भरी गयी जानकारी के संपूर्ण प्रपत्रों की प्रतियॉ Approved Request के साथ भेजी जानी चाहिये।

22-3-2021

(अजय पवार)
रजिस्ट्रार (एम)